न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला सतना A.8016.II-17

अविनाश चलाना एण्ड संस,
लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकान,
डेल्हा मोड, जिला सतना (म.प्र.)
-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1– कार्यालय (कलेक्टर) आबकारी,
जिला सतना (म.प्र.)

2– सहायक आबकारी अधिकारी,
वृत्त मैहर, जिला सतना (म.प्र.)
-- प्रत्यर्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 04.5.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय (कलेक्टर) आबकारी, जिला सतना द्वारा क्रमांक/ आब/ठेका/ 2017–18/795 में पारित आदेश दिंनाक 02.05.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला सतना का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, न्यायालय/कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला सतना द्वारा अपीलार्थी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, किसी भी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध करने से पूर्व उसे साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत् एवं पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये। न्यायालय/कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला सतना द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किये बिना तथा उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5– यहकि, अपीलार्थी को विधिवत रूप से विदेशी स्प्रिट नियम 1996 के नियम 8 उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन वार्षिक अनुज्ञप्ति द्वारा श्री गंगादीन पटेल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद पटेल, निवासी सर्वधर्म कोलार रोड, दामखेड़ा–14 बी–भोपाल (म0प्र0) पार्टनर अविनाश चलाना एण्ड कम्पनी को विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय करने के लिए डेल्हामोड SAT/F-14 को सतना जिले के विक्रय ज्ञापन वर्ष 2017–18 में निर्धारित स्थल पर अनुज्ञप्त परिसर में अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गयी थी, जिसके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 8016/IV/2017 जिला- सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
15-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	